कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री राजधानी इलेक्ट्रिकल्स, 1820, भागीरथ पैलेस, चाँदनी चौक, दिल्ली।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**36 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अनिल गोयल, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-36 / 11, दिनांक 26.04.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **Decorative Thermosetting Synthetic Resin Bonded Laminated Sheets** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री अनिल गोयल, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा highly absorbent तथा low starch वाली पेपर शीट को एक के ऊपर एक रखने के बाद इन्हें कैमिकल रेजिंग में डुबोया जाता है उसके पश्चात् कागज की इन पर्तों को प्रेस किया जाता है तथा सुखाया जाता है तथा उसके बाद लैमिनेट किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के पश्चात् Decorative Thermosetting Synthetic Resin Bonded Laminated Sheets (आदेश में आगे संक्षेप में इसे लैमिनेटेड शीट भी कहा गया है) तैयार की जाती है। इस लैमिनेटेड शीट को रेलवे द्वारा निर्धारित मानक सी0 के0- 514 के अनुरूप बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित इस शीट का उपयोग केवल रेलवे के कोच में किया जाता है क्योंकि इसमें आग से बचाव, गर्मी व ठंड से बचाव किया जा सकता है तथा इसमें लकड़ी से ज्यादा ताकत होती है। इसकी मोटाई इसकी नाप इसका वजन तथा इसकी ताकत आदि का निर्धारण भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाता है। परिणामत: इस लैमिनेट शीट में जल, गर्मी, आग, भाप आदि को सहन करने की शक्ति रहती है। अवगत कराया कि उनके द्वारा निर्माण किये जाने वाली लैमिनेटेड शीट केवल रेलवे कोच (Railway Coach) के उपयोग हेतु होती है तथा उनके द्वारा उक्त शीट की बिक्री केवल भारतीय रेल को ही की जाती है तथा उक्त शीट के बिना रेलवे कोच तैयार नहीं हो सकते हैं। अत: यह लैमिनेटेड शीट रेलवे कोच का हिस्सा / पार्ट हैं अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-105 के अन्तर्गत आने के कारण इन पर 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-105 निम्नवत् है :-

105	Rail coaches, engines & wagons and parts thereof.

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा निर्मित Decorative Thermosetting Synthetic Resin Bonded Laminated Sheets का प्रयोग भारतीय रेल द्वारा रेल कोच की दीवार को अन्दर से सजाने के उद्देश्य से लगाया जाता है। चूँकि रेलगाड़ी हर

......2

<u>सर्वश्री राजधानी इलेक्ट्रिकल्स / प्रा0 पत्र सं0-36 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

मौसम में, हर तापमान पर द्रुतगति से दौड़ती है ऐसी अवस्था में रेलवे कोच के भीतर लगायी जाने वाली Laminated Sheet के कुछ मानक भारतीय रेल द्वारा मानक संख्या-सी0 के0-514 द्वारा निर्धारित किये गये हैं अत: केवल इस आधार पर कि Decorative Thermosetting Synthetic Resin Bonded Laminated Sheets का निर्माण रेलवे मानकों के अनुरूप किया जाता है तो इसे कोच का पार्ट्स कहना उचित नहीं है। उक्त Laminated Sheet का प्रयोग रेलवे द्वारा पैसेन्जर कोच के आन्तरिक सौन्दर्य एवं Aesthetics Sence को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु रेलवे द्वारा रेंल कोच के भीतर की साज-सज्जा को सुन्दर बनाया जाता है जिसके लिए रेलवे केाच के भीतर दीवाल, छत, दरवाजे एवं खिड़कियॉं, शीट तथा बर्थ, फ्लोरिंग, ट्वालेट, पंखे, विद्युत व्यवस्था, एयर कन्डीशनर आदि की व्यवस्था की जाती है। यह साज-सज्जा रेल की श्रेणी, रेलगाड़ी की श्रेणी आदि के अनुसार बदलती रहती है। अत: उपरोक्त समस्त साजो सामान की वस्तुओं को रेल कोच का पार्ट (Part) नहीं कहा जा सकता। इन्टीगरल कोच फैक्टरी, पीराम्बपुर द्वारा कोच को सजाने के लिए जो टेन्डर विभिन्न कान्ट्रेक्टर को जारी किये जाते हैं उसके अन्तर्गत भी दीवारों में लगने वाली वस्तुएं जैसे-Laminated Sheet को कोच की आन्तरिक साज-सज्जा वाली वस्तुएं माना गया है। आन्तरिक साज-सज्जा संवारने के तीन उद्देश्य बताये गये हैं (1) Good Aesthetics-so that passenger feels nice. (2) Adequate Amenities-so that all passenger needs are met. (3) High comfort levels-Suitable design for passenger comfort, knee space, aisle space, berth size etc. तथा उपरोक्त Laminated Sheet का प्रयोग रेलवे द्वारा कोच की साज-सज्जा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। इसी प्रकार रेलवे टैक्निकल वेब पेज में पैसेन्जर कोच के पार्ट्स का वर्णन किया गया है। वेब पेज (web page) में भी कोच के आन्तरिक साज-सज्जा को बढ़ाने हेतु प्रयुक्त किये गये सामान को रेलवे कोच का पार्ट नहीं माना गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री INDO-INTERNATIONAL INDUSTRIES Versus COMMISSIONER OF SALES TAX, U.P. 1981 E.L.T. 325 (S.C.) decided on 25.03.1981 के वाद में किसी प्रविष्टि को समझने के लिए निम्न नियम निर्धारित किये गये है :-

It is well settled that in interpreting the Tariff entries in statutes like the Excise Tax Acts and Sales Tax Acts, the primary object is to raise revenue for which diverse products, articles and substances have to be classified. Therefore, unless the term and expression has been defined in the statute itself, it should not be understood in the scientific and technical sense but in the popular sense that is to say in the sense in which it is understood by those dealing in them.(para 4)

यही नहीं कोई भी वस्तु किसी वस्तु की पार्ट है या नहीं इस सम्बन्ध में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री State of U.P. v. Kores India Limited, 1977 UPTC 46 : (1977) 39 STC 8 decided on 18.10.1976 में यह निर्णय दिया गया है कि यद्यपि बिना टाइप राइटर रीबन के टाइप राइटर कार्य नहीं कर सकता है फिर भी यह टाइप राइटर रीबन, टाइप राइटर का पार्ट नहीं है। ठीक इसी प्रकार एवीएशन पेट्रोल (Aviation fuel), हवाई जहाज का तथा डीजल, बस का पार्ट नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त

......3

निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि जब टाइप राइटर चलाने वाला रीबन, टाइप राइटर का पार्ट नहीं हो सकता है तो रेल कोच को सजाने वाले सामान जैसे-Decorative Thermosetting Synthetic Resin Bonded Laminated Sheets भी रेल कोच का पार्ट नहीं हो सकता। यही नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में किसी वस्तु की करदेयता निर्धारित करने हेतु लिटरल कान्सट्रेक्शन का नियम भी प्रतिपादित किया गया है जिसके अनुसार भी कोच के आन्तरिक सौन्दर्य बढ़ाने वाले सामान को कोच का पार्ट्स नहीं कहा जा सकता। व्यापारी द्वारा उपरोक्त जिस Laminated Sheet को कोच पार्ट बताते हुए करदेयता निर्धारित करानी चाही गयी है। उक्त Laminated Sheet का प्रथम शब्द " Decorative " इस बात की पुष्टि करता है कि उपरोक्त Laminated Sheet का उद्देश्य कोच के सौन्दर्य को बढ़ाना है। अत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विभिन्न निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त Laminated Sheet का परीक्षण किया जाय तो Popular sense के अन्तर्गत रेलवे द्वारा जारी टेन्डर हेतु निर्धारित मानक, वेब पेज तथा वस्तु की उपयोगिता एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री PUMA AYURVEDIC HERBAL (P.) LTD. v. COMMISSIONER, CENTRAL EXCISE, NAGPUR, dt. March 8, 2006 में निर्देशित वस्तु की करदेयता के सम्बन्ध में कामन पारलेन्स टेस्ट आदि के द्वारा वस्तु के परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि उपरोक्त Laminated Sheet रेलवे कोच का पार्ट न होकर रेल कोच की आन्तरिक सौन्दर्य बढ़ाने वाली वस्तु है। अत: मात्र केवल इस आधार पर कि Decorative Thermosetting Synthetic Resin Bonded Laminated Sheets का उपयोग केवल रेलवे द्वारा किया जाता है तो यह रेल कोच का पार्ट है, उचित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से यह बात स्पष्ट होती है कि Decorative Thermosetting Synthetic Resin Bonded Laminated Sheets एक विशिष्ट प्रकार की Laminated Sheet है जिसका निर्माण विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जिस कारण से यह एक विशिष्ट वस्तु है, तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 किसी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अत: **Decorative Thermosetting Synthetic Resin Bonded Laminated Sheets** पर, किसी अनुसूची में न होने के कारण, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 25 मई, 2011

ह0 / 25.05.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।